न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 125/2017 प्रार्थना पत्र

नन्दलाल उर्फ नन्दा पिता वरदा उर्फ वरदीचन्द भील, आयु 55 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. वरदा उर्फ वरदीचन्द मुतबन्ना किशना भील, आयु 80 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. भैरूलाल पिता केशुराम भील, आयु 30 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. पप्पुलाल पिता केशुराम भील, आयु 27 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. घनश्याम पिता केशुराम भील, आयु 22 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्रीमती कला बाई पुत्री केशुराम पत्नी शंकरलाल भील, आयु 20 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. श्रीमती रतनी बाई बेवा केशुराम भील, उम्र 60 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. भैरूलाल पिता रतना भील, आयु 52 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. श्रीमती नानी बाई पुत्री रतना भील, आयु 55 साल, निवासी चोलनी, तहसील निम्बाहेड़ा।
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

श्री रामेश्वरलाल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, उपस्थित

निर्णय दिनांक 04.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा चोलनी, पटवार हल्का सरसी, तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 90 की आराजी नं. 32 रकबा 0.1700 हेक्टेयर खाता संख्या 91 की आराजी नं. 6, 7, 34, 35 व 36 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 92 की आराजी नं. 9 रकबा 0.0600 हेक्टेयर भूमि स्थित है।

यह भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हित निहित है। प्रार्थी के पिता वरदा उर्फ वरदीचन्द ने अपने जीवनकाल में दो शादीयां की जिसमें पहली पत्नी मोत्या बाई थी जो फोत हो चुकी है और उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी बाली बाई थी जो भी फौत हो चुकी है जिसका पुत्र प्रार्थी नन्दलाल उर्फ नन्दा है जो वादग्रस्त आराजीयात में अपने पिता वरदा के साथ काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता वरदा की आयु 80 साल की होकर सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है तथा अन्य व्यक्तियों के सिखावे में आकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करना चाहता है। पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थी इसमें 1/2 हक हिस्से पर काबिज है तथा घोषणा कराने का अधिकारी है। चूंकि मूल वाद की सुनवाई होकर निर्णय होने में समय लगेगा, तब तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 7 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार करते हुए अवगत कराया की विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दो विवाह करने से भी इन्कार किया और अवगत कराया की प्रार्थी के पिता का नाम उंकार है तथा प्रार्थी की माता वाली बाई की शादी लूणखन्दा के उंकारलाल के साथ हुई थी और वाली बाई तथा उंकारलाल की जाइन्दा संतान प्रार्थी नन्दलाल है। नन्दलाल उंकारलाल के साथ ही सरसी में निवास करता है तथा सरसी में ही खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 ने अपनी विवाहित पत्नी की सहमति से गोपाल पिता नारायणलाल भील को गोद रखा था तथा गोपाल ही विपक्षी संख्या 1 के साथ बहैसियत गोदीपुत्र विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 की सम्पत्ति को हड़पने के लिए गलत दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का तथा जमनलाल पिता नन्दा भील निवासी सरसी और लखमीचन्द पिता वजेराम भील निवासी चोलनी के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। साथ ही नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम चोलनी की खाता संख्या 90, 91, 92, नकल जमाबन्दी संवत 2026-29 ग्राम चोलनी की खाता संख्या 6, 7 मिलान क्षेत्रफल ग्राम चोलनी, श्रीमती मोत्या बाई की शोक पत्रिका की छायाप्रति व प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने पक्ष में पंजिकृत गोदनामा दिनांक 13.09. 2017 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम सरसी की खाता संख्या 164 की छायाप्रति तथा राशनकार्ड संख्या 00027 गाम चोलनी की छायाप्रति प्रस्तुत की है। बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपने अपने कथनों को ही दोहराया है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय मुख्यतः 3 बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय

क्षति। वर्तमान प्रकरण में भी यदि देखा जाए तो प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को विपक्षी संख्या 1 की पुश्तैनी प्रकट करने के साक्ष्य तो प्रस्तुत किये हैं परन्तु किसी भी स्तर पर प्रार्थी स्वयं को विपक्षी संख्या 1 का पुत्र साबित नहीं कर सका है। प्रार्थी द्वारा श्रीमती मोत्या बाई की शोक पत्रिका की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो कम्प्युटर पर सादे कागज में प्रिन्टेड तहरीर मात्र है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पर भी अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने ध्यानाकर्षण करते हुए बताया की प्रार्थी का निवास स्थल सरसी अंकित किया हुआ है जबकि प्रार्थी स्वयं को चोलनी का निवासी प्रकट करना चाहता है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में ग्राम सरसी की खाता संख्या 164 की छायाप्रति में खातेदार का नाम नन्दलाल पिता उंकारलाल भील दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि उंकारलाल भील प्रार्थी नन्दलाल का जाइन्दा पिता है और प्रार्थी अपने जाइन्दा पिता की सम्पत्ति पर काबिज काश्त है जिसकी ताईद नकल जमाबन्दी से होती है। राशनकार्ड संख्या 27 अनुसार विपक्षी संख्या 1 के परिवार में मात्र विपक्षी संख्या 1 और उसकी पत्नी ही सदस्य हैं। प्रार्थी का अथवा किसी अन्य संतान का कोई अंकन नहीं है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 ने पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत किया है जिसमें गोपाल पिता नारायणलाल भील को गोद लेना अंकित है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि सिर्फ गोपाल पिता नारायणलाल भील को गोद लिया गया है, किसी अन्य को पुत्र के रूप में गोद नहीं लिया गया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं को विपक्षी संख्या 1 का पुत्र साबित करने हेतु पर्याप्त आधार प्रकट नहीं कर सका है। विपक्षी संख्या 1 प्रश्नगत भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जिसे अपने खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। हम रेकार्डेड खातेदार को पाबन्द करने के पर्याप्त आधार नहीं पाते हैं। ऐसी प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आज तारीख 04.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:14:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: